(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1954-तीन/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-09-2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिहावल, जिला- सीधी का प्रकरण क्रमांक 150/अपील/2015-16

.....

मनहाजुददीन तनय रब्बुल वक्स
निवासी- ग्राम गेरूआा, तहसील सिहावल
जिला- सीधी

----------आवेदक

विरूद्ध

जमील अहमद अंसारी तनय नाजिर वक्स
निवासी- ग्राम गेरूआा, तहसील सिहावल
जिला- सीधी

----------अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/7/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सिहावल, जिला- सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम गेरूआ स्थित वाद्ग्रस्त भूमियां खसरा नम्बर 1298/0.55, 1319/0.04, 1320/0.70, 1321/0.63 एवं 1325/0.81 हैक्टर का वारिसाना नामांतरण अपने नाम किये जाने का आवेदन पत्र तहसीलदार, तहसील सिहावल, जिला- सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार ने भूमिस्वामी नाजिर वक्स के वारिसान मनहाजुददीन एवं जमील अहमद का खसरा अनसार आवेदन पत्र स्वीकत कर, दिनांक 22-05-15 को वारिसाना

आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिहावल के समक्ष अपील म्यांद धारा 5 का आवेदन पत्र पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्ररकण क्रमांक 150/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12-09-2016 से म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन मान्य किया तथा अपील स्वीकार की । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया कि तहसीलदार द्वारा बराबर भाग पर नामांतरण किया गया था । अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 22-05-15 के विरूद्ध 06-10-15 को अवधि बाहय अपील प्रस्तुत की थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राहय करने में त्रुटि की है। अत: अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया कि विचारण न्यायालय में अनावेदक को बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया। अत: जानकारी दिनांक से अपील समय सीमा में प्रस्तुत की गई थी, इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब को क्षमा कर अपील सुनवाई हेतु ग्राहय की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा बिना अनावेदक को बिना पक्षकार बनाये तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूंकि अनावेदक विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं था और उसे किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई थी इसलिए अनुविगीय अधिकारी ने जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का गुण दोष पर निराकरण होना है जहां आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी में कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

3/7/18

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,